राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 485/2009/सीकर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–तृतीय, नीम का थाना, सीकर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मुरारी लाल रामानन्द, खंडेला,
नीम का थाना, सीकर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उपराजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी विभाग की ओर से

श्री सी.एल.शर्मा,
अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 02/03/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 168/आरएसटी/एनआरडी/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 28.05.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–तृतीय, नीम का थाना, सीकर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2002 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत् आरोपित शास्ति रूपये 21,600/–, एवं कर तथा अधिभार क्रमशः रूपये 2,880/– व 432/– कुल मांग राशि रूपये 24,912/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 08.02.2002 को प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर अचानक पहुॅचने पर व्यवसाय स्थल पर काजू, बादाम एवं गोंद आदि पडा पाया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा पडे माल से संबंन्धित क्रय बिल की मांग किये जाने पर व्यवहारी द्वारा वांछित बिल एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इस कारण से व्यवसाय स्थल पर मौजूद माल का भौतिक सत्यापन नियमानुसार करते हुए अघोषित माल की कीमत रूपये 72,000/– आंकी गई व प्रत्यर्थी व्यवहारी को वास्ते स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब पर गौर करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा रूपये 72,000/– का माल बिना बिलों के राज्य के बाहर से आयात किया जाना मानते हुए, चूंकि व्यवहारी अपंजीकृत था, अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् शास्ति रूपये 21,600/– एवं कर तथा अधिभार क्रमशः रूपये 2,880/– व 432/– आरोपित करते हुए कुल मांग राशि रूपये 24,912/– कायम की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.05.2008 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार

लगातार.....2

करते हुए आरोपित कुल मांग राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की गलत धारा के तहत् कार्यवाही की गई है, किन्तु वक्त जांच प्रत्यर्थी व्यवहारी के पास बिल एवं बाउचर उपलब्ध नहीं थे। उन्होने आगे अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् कार्यवाही की गई है, यह कार्यवाही तभी की जा सकती है, जबकि परिवहनित माल के साथ वांछित दस्तावेज की मांग किये जाने पर वे वाहन चालक/माल प्रभारी अथवा व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जावें। जबकि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 78(5) के प्रावधानों के तहत् उसके व्यवसाय स्थल पर पडे माल को बिना बिलों के राज्य बाहर से आयात किया जाना मानते हुए कर व शास्ति आरोपण की कार्यवाही की जो कि अविधिक है। उन्होने आगे अपने कथन में कहा कि सशक्त अधिकारी द्वारा किया गया शास्ति आरोपण न्यायसंगत नहीं है, एवं उन्होने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 78(5) के प्रावधान केवल माल के परिवहन के दौरान अनियमितता पाये जाने पर ही लागू होते है, जबकि इसके विपरीत सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर पडे माल को बिना बिलों के राज्य बाहर से आयात किया जाना मानते हुए अधिनियम की धारा 78(5) के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही करते हुए कर व शास्ति का आरोपण किया है, जो कि न्यायसंगत नहीं हैं। अपीलीय अधिकारी का आदेश स्पष्ट है। विस्तृत कारणों सहित दिया गया है, जो उचित है। अतः उसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा जाता है।

7. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष